न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, छत्तरपुर (पलामू)।

देवन्ती देवी
बनाम
रमेश कुमार

अनुसूची–14 फारम सं0– 562

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक – ता0 .... से .... तक

जिला– पलामू/ अनुमति वाद संख्या–05 सन् 2024–25

केस का विषय– CNT Act.-1908 U/S 46 अंतर्गत भूमि अंतरण (बिक्री) अनुमति से संबंधित।

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
13/12/2024	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, छतरपुर के पत्रांक–617 दिनांक–31.08.2024 द्वारा भूमि बिक्री हेतु ऑफलाईन एवं ऑनलाईन कंडिकावार स्पष्ट अनुशंसा वो मंतव्य सहित समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि आवेदिका जमाबन्दी रैयत स्वर्गीय अकलू धोबी की बहु हैं जिसकी पुष्टि जनप्रतिनिधि द्वारा सत्यापित संलग्न वंशावली के अवलोकन से होती है। **आवेदिका (बिक्रेता) देवन्ती देवी** पति स्वर्गीय नन्हकू राम जाति धोबी (अनुसूचित जाति), ग्राम+पोस्ट+थाना–छतरपुर एवं **क्रेता रमेश कुमार** पिता दुखन राम, जाति चमार (अनुसूचित जाति) ग्राम कचनपुर टोला पिछुलिया, पोस्ट छतरपुर, थाना छतरपुर, जिला पलामू के निवासी हैं। आवेदक द्वारा धारित भूमि का रकबा–2.07$^{1}/_{8}$ एकड़ है जिसमें से मौजा छतरपुर, थाना नम्बर–290 के अंतर्गत खाता नम्बर–62, प्लॉट नम्बर–3 में बिक्री रकबा–**5.75** डिसमिल भूमि की बिक्री **क्रेता** को करने के पश्चात आवेदक (बिक्रेता) के पास रकबा–**2.01$^{37}/_{100}$** एकड़ भूमि शेष बचती है। इस तरह भूमि बिक्री के पश्चात भी आवेदिका भूमिहीन नहीं होते हैं। आवेदित भूमि पर कोई सरकारी बकाया नहीं है। आवेदक(बिक्रेता) **देवन्ती देवी** पति स्वर्गीय नन्हकू राम के द्वारा अपना ईलाज कराने व कर्ज महाजन को देने हेतु रूपया की आवश्यकता के मद्देनजर **क्रेता रमेश कुमार** पिता दुखन राम, जाति चमार (अनुसूचित जाति) ग्राम कचनपुर टोला पिछुलिया, पोस्ट छतरपुर, थाना छतरपुर, जिला पलामू के साथ अपनी भूमि की बिक्री करना चाहते हैं। आवेदिका/बिक्रेता जाति के धोबी एवं क्रेता जाति के चमार के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार बिक्रेता एवं क्रेता दोनों ही एक ही श्रेणी अनुसूचित जाति के सदस्य हैं एवं दोनों एक ही थाना छतरपुर तथा दोनों एक ही जिला पलामू (झारखण्ड) के निवासी हैं।	

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश ... गई कार... बारे में ... तारीख सहि...
1	2	3

आवेदिक(बिक्रेता)/क्रेता के नाम निर्गत जाति/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा निर्गत आधार कार्ड, पंजी–II, लगान रसीद, वंशावली, खतियान आदि की छाया प्रति संलग्न है। अंचलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित बिक्री भूमि को भू–दान, भू–हदबंदी, बासगीत, बंदोबस्ती एवं सार्वजनिक उपयोग आदि से मुक्त बताते हुए भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा की गई है।

उपायुक्त, पलामू के आदेश ज्ञापांक–294/विधि0, दिनांक–21.02.2024 के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, छतरपुर को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्यो के निष्पादन हेतु प्राधिकृत हैं।

अतः आवेदक द्वारा भूमि बिक्री की अनुमति दिये जाने हेतु समर्पित दस्तावेज/कागजातों के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत **विक्रेता 1–देवन्ती देवी** पति स्वर्गीय नन्हकू राम जाति धोबी (अनुसूचित जाति), ग्राम+पोस्ट+थाना–छतरपुर, जिला पलामू, राज्य झारखण्ड को **क्रेता 1–रमेश कुमार** पिता दुखन राम, जाति चमार (अनुसूचित जाति) ग्राम कचनपुर टोला पिछुलिया, पोस्ट छतरपुर, थाना छतरपुर, जिला पलामू, राज्य झारखण्ड के साथ ऊपर वर्णित की भूमि बिक्री(अंतरण) हेतु स्वीकृति .... प्रदान की जाती है।

संबंधित सहायक स्वीकृरात्यादेश तैयार कर जिला अवर निबंधक, मेदिनीनगर, पलामू/ कार्यालय अवर निबंधक हुसैनाबाद (पलामू)/ संबंधित बिक्रेता/क्रेता एवं अंचल अधिकारी, छतरपुर को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

13/12/24

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
छत्तरपुर (पलामू)।

13/12/24

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
छत्तरपुर (पलामू)।

Digitally signed by VIJAY KERKETTA
Date: 2024.12.17 13:28:50 +05:30
Location: 10.93.53.210